



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220178
CG-DL-E-26062020-220178

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1829]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ़ 4, 1942

No. 1829]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASHADHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2066(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3315 (अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में एन एच 47 के कि.मी. 7.400 से कि.मी.13.550 (सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी, तहसील -टिमरनी, जिला - हरदा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16 सितम्बर, 2019" को "पत्रिका " और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में एन एच 47 के कि.मी. 7.400 से कि.मी.13.550 (सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी , तहसील -टिमरनी ,जिला - हरदा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: हरदा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: टिमरनी				
	गांव का नाम: खिड़की				
1	1/2	निजी	सिंचित	0.0519	सुगना पत्नी हेमराज ()
2	1/5	निजी	सिंचित	0.053	नशीरखा, वहीदखा, बशीरखा, रमजानखा वल्द ईस्माइलखा ()
3	1/6	निजी	सिंचित	0.0398	चंद्रशेखर पुत्र नाथूराम ()
4	1/9	निजी	सिंचित	0.0161	रामदीन, बलराम पुत्र बाबूलाल ()
			कुल	0.1608	

[फा. सं. Harda-Betul/Pkg-I/Chw/13214/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2066(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.3315 (E) Dated 16th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the land from Km 7.400 to Km 13.550 of NH-47 (Competent Authority (Land Acquisition) and Sub Divisional Officer (Revenue) TIMARNI, TEHSIL-TIMARNI, DIST.- HARDA) in the district HARDA, MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Patrika” and “*Dainik Bhaskar*” both dated 16th September, 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 7.400 to Km. 13.550 of NH47 (Competent Authority (Land Acquisition) and Sub Divisional Officer (Revenue) TIMARNI, TEHSIL-TIMARNI, DIST.- HARDA) in the district HARDA, MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: HARDA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Timarni				
	Viilage: Khidki				
1	1/2	Private	Irrigated	0.0519	Sugna W/o Hemraaj
2	1/5	Private	Irrigated	0.053	Nashirkha, Vahidkha, Bashirkha, Ramzankha, S/o Ismailkha
3	1/6	Private	Irrigated	0.0398	Chandrasekhar S/o Nathuram
4	1/9	Private	Irrigated	0.0161	Ramdeen, Balram S/o Babulal
			TOTAL	0.1608	

[F. No. Harda-Betul/Pkg-I/Chw/13214/3D]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.